



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ पीठ

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता संख्या
- 427 वर्ष 2026

वैभव उपाध्याय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, लखनऊ और अन्य।

.....विपक्षी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : पवन कुमार पांडे, प्रिया सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मोहम्मद इस्लाम खान, साबिर

अली

न्यायालय संख्या -13

माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार पांडे, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री साबिर अली एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या 134 वर्ष 2023, अंतर्गत धारा 147, 148, 504, 323, 324, 354(ख), 506 भारतीय दंड संहिता, थाना जलालपुर, जिला अंबेडकर नगर में विचारण के लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मामला वैवाहिक प्रकृति का है और अभियुक्त-आवेदक पति है। एक ही घटना के लिए पत्नी और साले (बहनोई) द्वारा दो अलग-अलग पुलिस थानों में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं। अभियुक्त-आवेदक के साले ने वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना जलालपुर, जिला अंबेडकर नगर में दर्ज कराई है, जो मुकदमा अपराध संख्या 134 वर्ष 2023 के रूप में पंजीकृत हुई, जबकि अभियुक्त-आवेदक की पत्नी ने उसी घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट महिला थाना, जिला अंबेडकर नगर में दर्ज कराई, जो मुकदमा अपराध संख्या 55 वर्ष 2023 के रूप में पंजीकृत हुई। मुकदमा अपराध संख्या 55 वर्ष 2023 में अभियुक्त-आवेदक को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता संख्या 424 वर्ष 2026, 'वैभव उपाध्याय बनाम उ.प्र. राज्य' में पारित आदेश दिनांक 19.06.2026 के माध्यम से पूर्व में ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी तर्क दिया गया है कि अभियुक्त-आवेदक ने मुकदमा अपराध संख्या 134 वर्ष 2023 से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट को इस न्यायालय की समन्वय पीठ के समक्ष आवेदन अंतर्गत धारा 482 संख्या 545 वर्ष 2024; 'वैभव उपाध्याय उर्फ राहुल एवं 6 अन्य बनाम उ.प्र. राज्य' में चुनौती

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दी थी, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आदेश दिनांक 29.04.2026 के द्वारा आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। आवेदक ने जमानत प्रार्थना पत्र के स्थान पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का मार्ग चुना, जिसे उपरोक्त संदर्भित अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा विचार में लिया गया; न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि अभियुक्त-आवेदक जैसा उचित समझे जैसी सलाह दी जाए, नियमित जमानत प्रार्थना पत्र के साथ-साथ अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। अभियुक्त-आवेदक ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पक्षकारों के बीच वैवाहिक विवाद था। विवेचना (जांच) के दौरान आवेदक को गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त-आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना चाहता है, किंतु उसे गिरफ्तारी की आशंका है। अतः अग्रिम जमानत की याचना की गई है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया और तर्क दिया कि पीड़ित को पहुंचाई गई चोट ऐसी है कि अभियुक्त-आवेदक जमानत का हकदार नहीं है। यह घटना तब घटी जब दोनों पक्ष विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए एक गेस्ट हाउस में मिले थे। केवल अभियुक्त-आवेदक ही नहीं, बल्कि उसके परिवार के सदस्य भी इस घटना में दोषी हैं। अतः अभियुक्त-आवेदक का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया कि जिन अन्य पारिवारिक सदस्यों को समान भूमिका में दर्शाया गया था, उनकी आपराधिक कार्यवाहियों पर रोक प्राप्त है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. अग्रिम जमानत का विस्तार एवं दायरा माननीय उच्चतम न्यायालय के तीन सारगर्भित निर्णयों—गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565, सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 तथा सुशीला अग्रवाल व अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) व अन्य (2020) 5 एससीसी 1—में संकलित है, जिनमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरंतर यह निर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत देते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति व गंभीरता, अभियुक्त के आपराधिक इतिहास, मिथ्या या अतिरंजित (बढ़ा-चढ़ाकर) फंसाए जाने, अभिरक्षा में पूछताछ की आवश्यकता, विवेचना एवं विचारण में सहयोग करने की अभियुक्त की इच्छा तथा अभियुक्त के आचरण व फरार होने के जोखिम के आलोक में गिरफ्तारी की आशंका या खतरे का मूल्यांकन करना चाहिए।

7. यह न्यायालय आरोप की गंभीरता, अभियुक्त-आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास न होने, विवेचना के दौरान अभियुक्त-आवेदक की गिरफ्तारी न होने, उसी घटना से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 55 वर्ष 2023 में अग्रिम जमानत स्वीकृत होने तथा प्रकरण में गिरफ्तारी की आशंका के साथ-साथ फरार होने के कम जोखिम और विवेचना व विचारण में सहयोग करने के अभियुक्त के आश्वासन पर विचार करते हुए, अग्रिम जमानत प्रदान करने का मत रखता है।

8. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक—**वैभव उपाध्याय** इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय या विवेचना अधिकारी (जांच अधिकारी), जैसा भी मामला हो, के समक्ष उपस्थित होगा और उसे संबंधित न्यायालय के संतोषप्रद रु. 25,000/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(पच्चीस हजार रुपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां (जमानतदार) प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं बनाएगा/उन्हें नहीं डराएगा-धमकाएगा।
- (iii) आवेदक (i) प्रकरण की सुनवाई, (ii) आरोप विरचित होने तथा (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
- (iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब विचारण न्यायालय में साक्षी उपस्थित हों, तब वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

10. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी प्रकार से प्रकरण के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कही गई किसी भी बात से प्रभावित हुए बिना, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

22 जून, 2026

आरती/-

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।